पत्रांक–18/प्रशि0–01–05/2026 सा0 प्र0 12765/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना–15, दिनांक 16.7.26

विषय :– iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर बिहार लिपिकीय सेवा के कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य कोर्स चिन्हित करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक–8827 दिनांक–15.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार सचिवालय सेवा एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिये प्रतिवर्ष न्यूनतम 52 (बावन) घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।

उक्त ऑन लाईन प्रशिक्षण के लिये प्रासंगिक मत्र के माध्यम से बिहार सचिवालय सेवा के कनीय सचिवालय सहायक एवं वरीय सचिवालय सहायक के कर्मियों के लिए अनिवार्य कोर्स तथा एच्छिक कोर्स चिन्हित किया गया है।

उपर्युक्त कर्मियों के लिए अलग–अलग 15 अनिवार्य कोर्स चिन्हित किये गये है, जो अनुसूची – A के रूप में संलग्न है। इसी प्रकार एच्छिक कोर्स टाइटिल चिन्हित किये गये है, जो अनुसूची – B के रूप में संलग्न है।

विदित हो कि ऐच्छिक विषयों की सूची में एक टाइटिल के अन्तर्गत एक से अधिक कोर्स, क्षमता Behavioral/Functional/Domain के रूप में हो सकते है।

पत्र के साथ संलग्न अनिवार्य एवं एच्छिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुये सभी उक्त कर्मियों को पूर्व से परिचारित 52 घंटे का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष iGOT Platform पर प्राप्त करना है। यदि चिन्हित अनिवार्य कोर्स तथा एच्छिक कोर्स से 52 घंटा पूर्ण नही हो पाता है, तो पदाधिकारी/कर्मी अपनी उपयोगिता एवं अभिरूचि के अनुसार iGOT Platform से अन्य कोर्स कर सकते है।

इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-8627 दिनांक-15.05.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष यथावत रहेगा।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मचारियों के बीच इसे परिचारित करते हुये उन्हें निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-18/प्रशि-01-05/2026 सा0प्र0 12768 दिनांक- 16.7.26

प्रतिलिपिः- अपर महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना एवं गया/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-MAIL

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक- भवन-03/स्था०विविध-13/2026........7195 (भ) पटना, दिनांक- 31/7/26

प्रतिलिपि-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/मुख्यालय अन्तर्गत सभी कनीय सचिवालय सहायक (निम्नवर्गीय लिपिक) तथा वरीय सचिवालय सहायक (उच्चवर्गीय लिपिक) एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्यालय में कार्यरत सभी कनीय सचिवालय सहायक (निम्नवर्गीय लिपिक) तथा वरीय सचिवालय सहायक (उच्चवर्गीय लिपिक) को निदेश दिया जाता है कि i-GOT कर्मयोगी पोर्टल पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चिन्हित किये गये कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

31/7/26

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग,

बिहार, पटना।

C:\Users\HP\Desktop\Work 2025\Bhawna Bharti\Draft

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक-भवन/स्था0-04-विविध-39/2025......7850(7)...... पटना, दिनांकः- 20/8/26

प्रतिलिपिः-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि पत्र में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 20.08.26

(अवधेश नंदन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।